उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान
सैफई, इटावा– 206130
U.P. Rural Institute of Medical Sciences & Research
Saifai, Etawah- 206130
Phone (05688) 276563 & Fax: (05688) 276509

संख्या: 5679/रिम्सएण्डआर/छात्रप्रकोष्ठ/2015–16 दिनांक 30 दिसम्बर, 2015

सेवा में,
जिलाधिकारी,
इटावा।

सन्दर्भः माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद भ्रमण सन्दर्भ 27/4118/शि0लि0 दिनांक 09/12/2015 के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त शिकायत संख्या 27/4118 दिनांक 09/12/2015 जोकि इस संस्थान के पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र श्री रामरेश यादव पुत्र श्री विद्याराम सिंह निवासी ग्राम–टीकराहार, पो0 सहन, करहल, मैनपुरी द्वारा की गयी है, के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत है–

उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा में दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 की रात्रि में हुई घटना की शिकायत एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों द्वारा एन्टी रैगिंग सेल में दर्ज करायी गयी, जिसकी जॉच संस्थान की एन्टी रैगिंग समिति द्वारा की गयी। जॉच में रैगिंग में संलिप्त पाये गये छात्रों के विरूद्ध तत्काल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (मेडिकल कालेजों/संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम और निषेध) विनियमावली, 2009 के (बिन्दु– 8, 8.1) अनुसार उक्त छात्र पर निम्नलिखित दण्ड घोषित किया गया–

- छात्र रामरेश यादव का 04 सिमिस्टर के निष्कासन एवं रू. एक लाख का अर्थदण्ड।

रैगिंग प्रतिशेध अधिनियमों के अनुसार रैगिंग में संलिप्त व्यक्ति हेतु निर्धारित किए गये दण्ड के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अपील का निस्तारण संस्थान के स्तर पर किया जाना सम्भव नही है। यू.जी.सी. रैगिंग प्रतिशेध अधिनियम– 2009 एवं उ0प्र0 रैगिंग प्रतिशेध अधिनियम, 2010 के अनुसार उक्त दण्ड के विरूद्ध अपील का निस्तारण हेतु मात्र विश्वविद्यालय के कुलपति ही अधीकृत हैं।

यदि उक्त छात्र दण्ड के विरूद्ध संस्थान में अपील करता है, तो उसको संस्थान द्वारा माननीय कुलपति छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर को निस्तारण हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद भ्रमण सन्दर्भ 27/4118/शि0लि0 दिनांक 09/12/2015 को निस्तारित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद भ्रमण सन्दर्भ 27/4118/शि.लि. दि 09/12/2015 मूलरूप में।

(डा0 के0एम0 शुक्ला)
संकायाध्यक्ष

प्रतिलिपि–

1. श्री रामरेश यादव पुत्र श्री विद्याराम सिंह निवासी ग्राम–टीकराहार, पो0 सहन, करहल, मैनपुरी।
2. प्रभारी. सी0ए0सी0 उक्त को वेबसाईट पर अपलोड करायें।

(डा0 के0एम0 शुक्ला)
संकायाध्यक्ष